न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,धनबाद।

(छोटानागपुर काश्तकारीअधिनियम की धारा 46 के तहत अनुमति)

एम0 आर0 केश नं0– 30/2022–23

–:आदेश:–

अभिलेख आज उपस्थापित। आवेदक के आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, टुण्डी के पत्रांक– 175, दिनांक– 19.04.2023 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि आवेदक एतवारी मुर्मू, पिता– स्व0 चुना मुर्मू, साकिम– मछियारा, थाना– मनियाडीह, जिला– धनबाद अपनी जमीन मौजा– मछियारा, मौजा नं0– 06, पुराना खाता नं0– 24, पुराना प्लॉट सं0– 858, नया खाता सं0– 09, नया प्लॉट सं0– 1005, रकवा– 16 डिसमील, नया प्लॉट सं0– 1006, रकवा– 11 डिसमील एवं नया प्लॉट सं0– 1007, रकवा– 01 डिसमील, कुल रकवा– 28 डिसमील भूमि क्रेता रसिक लाल टुडू, पिता– स्व0 सोबान टुडू, साकिम– मछियारा, थाना– मनियाडीह, जिला– धनबाद को बेचने की अनुमति चाहते है। अंचल अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन मे प्रतिवेदित किया है कि विक्रेता एवं क्रेता एक ही जाति के संथाल है तथा विक्रेता एवं क्रेता एक ही थाना– मनियाडीह, जिला– धनबाद के निवासी है। जमीन रैयती खाते की है, बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास 5.45 एकड़ शेष भूमि बचती है। अंचल अधिकारी के द्वारा आवेदित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति देने की अनुशंसा भी की गयी है।

अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आवेदक को प्रश्नगत जमीन बिक्री करने की अनुमति उपायुक्त द्वारा निर्धारित दर पर की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित,

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
धनबाद।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
धनबाद।

Digitally signed by SATISH CHANDRA
Date: 2023.09.02 13:59:05 +05:30
Location: 192.168.29.168

Scanned by CamScanner